



भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल - 17

Phone 2661263,2737446 Fax: 2661263 Website:bsgmp.net E_mail:scoutguide_bpl@dataone.in

क्र०/3275/रा०मु०/परि./2013
प्रति,

भोपाल, दिनांक 6/8/13

1. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का.गा.)
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.
संभागीय मुख्यालय.....म.प्र.
2. जिला संगठक (स्का.गा.)
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.
जिला संघ.....म.प्र.

विषय :- अनुसूचित जाति विकास की संस्थाओं में स्काउट-गाइड योजना का क्रियान्वयन।
सन्दर्भ :- अनु.जाति विकास म.प्र. का पत्र क्र./बजट/2013-14/न.क्र./823, दिनांक 06.05.13
एवं पत्र क्र./शिक्षा प्रशि./4/1/13-14/2405, दिनांक 03.07.2013

—000—

विषयांतर्गत एवं सन्दर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि अनु.जाति विकास म.प्र. द्वारा वर्ष 2013-14 में स्काउट-गाइड योजना के क्रियान्वयन हेतु सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से 30 जिलों के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं जिला संयुक्त, आदिम जाति कल्याण को सीधे राशि आवंटित की गई है। निम्नानुसार जिलों को 50-50 हजार रु. की राशि आवंटित की गई है :-

क्र.	संभाग	क्र.	जिला	आवंटित राशि	क्र.	संभाग	क्र.	जिला	आवंटित राशि
1	चम्बल	1	भिण्ड	0.50	5	ग्वालियर	16	दतिया	0.50
		2	मुरैना	0.50			17	गुना	0.50
2	भोपाल	3	भोपाल	0.50			18	ग्वालियर	0.50
		4	रायसेन	0.50			19	अशोकनगर	0.50
		5	राजगढ़	0.50			20	शिवपुरी	0.50
		6	सीहोर	0.50	6	जबलपुर	21	कटनी	0.50
		7	विदिशा	0.50			22	नरसिंहपुर	0.50
3	सागर	8	छतरपुर	0.50	7	उज्जैन	23	मंदसौर	0.50
		9	दमोह	0.50			24	नीमच	0.50
		10	पन्ना	0.50			25	रतलाम	0.50
		11	सागर	0.50			26	शाजापुर	0.50
		12	टीकमगढ़	0.50			27	उज्जैन	0.50
4	होशंगाबाद	13	हरदा	0.50			28	देवास	0.50
		14	होशंगाबाद	0.50	9	रीवा	29	रीवा	0.50
5	इन्दौर	15	इन्दौर	0.50			30	सतना	0.50

निरंतर.....

उपरोक्तानुसार अनु.जाति विकास से जिलो को प्राप्त राशि अनुसार निम्नानुसार कार्ययोजना में राशि का व्यय किया जाना प्रस्तावित है :-

1. कब/बुलबुल दलो का गठन एवं पंजीयन
2. स्काउट/गाइड दलो का गठन एवं पंजीयन
3. रोवर-रेंजर दलो का गठन एवं पंजीयन
4. पूर्व में गठित दलो का नवीनीकरण
5. दल के सदस्यो हेतु यूनिफार्म
6. पूर्व पंजीकृत दलो को मासिक पत्रिका हेतु सदस्यता राशि
7. समय-समय पर राज्य/संभाग/जिला स्तर पर प्रस्तावित कार्यक्रमों में प्रतिभागिता

अतः संबंधित जिलो के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला- भोपाल, होशंगाबाद, रतलाम एवं जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण जिला- भिण्ड, छतरपुर, दमोह, दतिया, देवास, गुना, ग्वालियर, हरदा, इन्दौर, कटनी, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, शाजापुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा, एवं अशोकनगर से सम्पर्क कर आपके संभाग/जिला अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं को नवीनीकृत कर पंजीयन राशि (सूची सहित) एवं पत्रिका की वार्षिक सदस्यता राशि (सूची सहित) तथा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार क्रियान्वयन कर जानकारी से अवगत करावें।

संलग्न :-1. राशि आवंटन संबंधी (कार्या.अनु.जा.वि.)पत्र की प्रति

2. संभागवार पंजीकृत संस्थाओं की सूची

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.
भोपाल, दिनांक 16/8/13

पृ0क्र0 / 3276 / रा0मु0 / परी. / 2013

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास म.प्र., राजीव गांधी भवन, 35 श्यामला हिल्स भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला- भिण्ड, छतरपुर, दमोह, दतिया, देवास, गुना, ग्वालियर, हरदा, इन्दौर, कटनी, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, शाजापुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा, एवं अशोकनगर म.प्र.।
2. राज्य संगठन आयुक्त/राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्का.गा.) राज्य मुख्यालय, भोपाल।
3. उपायुक्त, आदिवासी विकास तथा आदिम जाति कल्याण संभागीय कार्यालय.....
4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला- भोपाल, होशंगाबाद एवं रतलाम म.प्र.।
5. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण-जिला भिण्ड, छतरपुर, दमोह, दतिया, देवास, गुना, ग्वालियर, हरदा, इन्दौर, कटनी, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, शाजापुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा एवं अशोकनगर म.प्र.।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

(62)

कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास म.प्र.
राजीव गांधी भवन, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल

क्रमांक/बजट/2013-14/न.क. 28/ 823

भोपाल, दिनांक 6/5/13

प्रति,
कलेक्टर,
भिण्ड, भोपाल, छतरपुर, दमोह, दतिया, देवास, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इन्दौर, कटनी,
मन्दसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर,
शाजापुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा, अशोकनगर (म.प्र.)

विषय:- मांग संख्या-64, योजना क्रमांक-9846 के अन्तर्गत स्काउड गाईड हेतु धन राशि का आवंटन वर्ष 2013-14

—0—

वित्तीय वर्ष 2013-14 में "मांग संख्या-64, मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, (01)-अनुसूचित जातियों का कल्याण (800)-अन्य व्यय, (0103)-अनुसूचित जाति उपयोजना, (9846)-स्काउट गाईड, 51-अन्य प्रभार" में प्रावधानित राशि में से ₹ 15.00 लाख (₹ पन्द्रह लाख) मात्र का आवंटन आपको संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

01. व्यय का लेखा प्रत्येक बजट शीर्ष अंतर्गत व्यवस्थित रखा जाकर मासिक व्यय पत्रक ट्रेजरी क्लॉउचर नम्बर सहित प्रत्येक माह की 10 तारीख तक इस कार्यालय को प्रेषित किये जावें।
02. किसी भी परिस्थिति में बजट आवंटन से अधिक व्यय नहीं किया जावे।
03. राशि व्यय करते समय म.प्र.कोष संहिता भाग-एक के उपनिधम-284 तथा शासन के समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी आदेशों का पालन किया जावे।
04. कार्यों की स्वीकृति के समय योजना में निहित प्रावधानों का पालन किया जावे।
05. यह केवल आवंटन आदेश है, इसे स्वीकृति आदेश न माना जावे।
06. म.प्र. शासन, वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद में त्रैमासिक आवंटन प्रदान किया गया है अतः स्वीकृत आवंटन का उपयोग प्रथम त्रैमास (अप्रैल 13 से मार्च 13) में ही किया जा सकता है।
07. यदि आवंटित राशि व्यय करना संभव न हो पा रहा हो तो यथाशीघ्र अनिवार्य रूप से राशि समर्पित करते हुए जानकारी आई.डी. नंबर के साथ इस कार्यालय को प्रेषित की जावे। राशि व्ययगत होने की जिम्मेदारी संबंधित विभागीय जिलाधिकारी की होगी।

(आयुक्त महोदय द्वारा स्वीकृत)

(एस. के. त्रिपाठी)
वरिष्ठ लेखाधिकारी

पृ.क्रमांक/बजट/2013-14/न.क. 28/ 824

भोपाल, दिनांक 6/5/13

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
2. निज सचिव, आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, भोपाल (म.प्र.)
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)
4. वित्तीय सलाहकार, म.प्र.शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिवासी विकास तथा आदिम जाति कल्याण, (म.प्र.)
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, अनुसूचित जाति विकास, भोपाल (म.प्र.)
7. जिला कोषालय अधिकारी, भिण्ड, भोपाल, छतरपुर, दमोह, दतिया, देवास, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इन्दौर, कटनी, मन्दसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, शाजापुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा, अशोकनगर (म.प्र.)
8. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, भिण्ड, भोपाल, छतरपुर, दमोह, दतिया, देवास, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इन्दौर, कटनी, मन्दसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, शाजापुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा, अशोकनगर (म.प्र.)
8. श्री के. आर. आहूजा, समाधान सहायक टी.सी.-17 महालेखाकार कार्यालय, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर
10. फोल्डर प्रति/शाखा शिक्षा-4 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(एस. के. त्रिपाठी)
वरिष्ठ लेखाधिकारी

परिशिष्ट-एक

“मांग संख्या-64, मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, (01)-अनुसूचित जातियों का कल्याण (800)-अन्य व्यय, (0103)-अनुसूचित जाति उपयोजना, (9846)-स्काउट गाईड, 51-अन्य प्रभार”

(राशि लाखों में)

क्र.	जिला	जारी आवंटन	क्र.	जिला	जारी आवंटन
1	2	3	1	2	3
1	भिण्ड	0.50	16	नीमच	0.50
2	भोपाल	0.50	17	पन्ना	0.50
3	छतरपुर	0.50	18	रायसेन	0.50
4	दमोह	0.50	19	राजगढ़	0.50
5	दतिया	0.50	20	रतलाम	0.50
6	देवास	0.50	21	रीवा	0.50
7	गुना	0.50	22	सागर	0.50
8	ग्वालियर	0.50	23	सतना	0.50
9	हरदा	0.50	24	सीहोर	0.50
10	होशंगाबाद	0.50	25	शाजापुर	0.50
11	इन्दौर	0.50	26	शिवपुरी	0.50
12	कटनी	0.50	27	टीकमगढ़	0.50
13	मन्दसौर	0.50	28	उज्जैन	0.50
14	मुरैना	0.50	29	विदिशा	0.50
15	नरसिंहपुर	0.50	30	अशोकनगर	0.50
योग					15.00

(राशि पन्द्रह लाख मात्र)



(एस. के. त्रिपाठी)

वरिष्ठ लेखाधिकारी

अनुसूचित जाति विकास, म.प्र.



कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास

मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षा प्रशि./4/1/13-14/2405
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3-7-2013

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
जिला-भोपाल, होशंगाबाद, रतलाम (म.प्र.)
जिला संयोजक,
आदिम जाति कल्याण
जिला-भिण्ड, छतरपुर, दमोह, दतिया, देवास, गुना,
ग्वालियर, हरदा, इन्दौर, कटनी, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर,
नीमच, प्रन्ना, सयसेन, राजगढ़, रीवा, सागर, सतना, सीहोर,
शाजापुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा, अशोकनगर (म.प्र.)

विषय:-स्काउट/गाइड गतिविधियों का संचालन।

विभागीय छात्रावास/आश्रम एवं आवासीय संस्थाओं में निवासरत छात्र-छात्राओं में शैक्षणिकेत्तर गतिविधियों के माध्यम से उनके सर्वांगीण विकास की विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है इनमें स्काउट गाइड गतिविधियां भी सम्मिलित है।

अभी तक स्काउट/गाइड गतिविधियों के संचालन हेतु मुख्यालय से सीधे राशि राज्य मुख्यालय स्काउट गाइड को उपलब्ध करायी जा रही थी। फलस्वरूप विभागीय जिला अधिकारी सक्रिय रूप से इन गतिविधियों में अपना योगदान नहीं दे पा रहे थे। इस वर्ष से स्काउट/गाइड गतिविधियों के संचालन हेतु सीधे राशि आपको उपलब्ध करायी गई है।

स्काउट/गाइड गतिविधियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियां संचालित होती है:-

1. कब/बुलबुल दलो का गठन एवं पंजीयन।
2. स्काउट/ गाइड दलो का गठन एवं पंजीयन।
3. रोवर/रेजर्स दलो का गठन एवं पंजीयन।
4. पूर्व में गठित दलो का नवीनीकरण
5. दल के सदस्यों को यूनिफार्म प्रदाय।
6. समय-समय पर राज्य/संभाग/जिला स्तर से प्रस्तावित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

राज्य स्तरीय/संभाग स्तरीय/जिला स्तरीय प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम 2013-14 संलग्न है।

भारत स्काउट एवं गाइड राज्य मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी विभागीय छात्रावास/ आश्रमों में लगभग 400 दलों का गठन किया जाकर स्काउट गाईड गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

आपसे अपेक्षा की जाती है, कि इन दलों की गतिविधियां निरंतर संचालित रखी जाकर नवीन दलों का गठन भी किया जावे, एवं स्काउट गाइड गतिविधियों के संचालन हेतु जिला कमिश्नर स्काउट/ गाइड से समन्वय करते हुए समय-समय पर प्राप्त सूचनाओ/कार्यक्रमों/निर्देशों का पालन करते हुए स्काउट गाईड गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाकर इस हेतु आपको आवंटित राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न:- वार्षिक कार्यक्रम 13-14


संयुक्त संचालक
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 3-7-2013

पृ./क्रमांक/शिक्षा प्रशि./4/1/13-14/ 2406
प्रतिलिपि:-

समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति कल्याण (म.प्र.) को सूचनार्थ प्रेषित।


संयुक्त संचालक
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश